छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 691/2007

1. श्री के0पी0 गुजर, — शिकायतकर्ता
भवन क्रमांक–27, (साई कृपा),
हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, औद्योगिक क्षेत्र,
भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी/अधीक्षण यंत्री, — अनावेदक
छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. जन सूचना अधिकारी/कार्यपालन अभियंता,
छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल,
संभाग, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 03 सितंबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री के0पी0 गुजर द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/कार्यपालन अभियंता, छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल, संभाग, दुर्ग के समक्ष दिनांक 24.03.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था। उसके बाद उन्होंने दिनांक 26.06.2007 को जन सूचना अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु उक्त आवेदनों पर उन्हें पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 24.09.2007 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में प्रारंभ में कुछ जानकारी त्रुटिपूर्ण देना बताया गया और कुछ उपलब्ध नहीं होना बताया गया, अतः निर्देश दिये गये कि संबंधित जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण एक सप्ताह में कराया जावे और जो जानकारी शेष है, वह 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान कराया जावे तथा जो जानकारी मुख्यालय में है, उसे वहॉ धारा–6(3) के अन्तर्गत हस्तांतरित कर वहॉ से 15 दिन में जानकारी दी जावे। उसके बाद शिकायतकर्ता को निरीक्षण कराया गया और कुछ जानकारी दी गई। अंत में दिनांक 18.11.2008 को उभय पक्ष की सुनवाई उपरान्त यह प्रकरण इस निर्देश के साथ समाप्त किया गया कि जो जानकारी शेष हो उसका 15 दिवस में निरीक्षण कराकर जानकारी निःशुल्क दी जावे। साथ ही धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में मण्डल की ओर से शिकायतकर्ता को प्रदान किया जावे। प्रकरण में उसके बाद दिनांक 04.12.2008 को शिकायतकर्ता ने पुनः शिकायत प्रस्तुत की कि आयोग के आदेशों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है और अप्राप्त, अपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी के बारे में उन्होंने एक चार्ट प्रस्तुत किया, जिसमें यह बताया गया कि जो रिकार्ड आवेदक ने मॉगा ही नहीं वह रिकार्ड का पुलिंदा आवेदक को दिया गया है तथा उनके विरूद्ध पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की गई है। इस चार्ट की प्रति गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के संपदा अधिकारी तथा कार्यपालन अभियंता, दुर्ग को दी गई थी और निर्देश दिये गये थे कि शेष जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण कराकर वह 15 दिवस में जानकारी निःशुल्क दी जावे। साथ ही शिकायतकर्ता के इस आरोप के बारे में समान प्रकरणों में यदि कोई भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया हो तो या तो उसका कारण बताया जावे व नोटशीट की प्रति दी जावे अन्यथा की गई कटौती के संबंध में नियमानुसार पुनर्विचार कर कार्यवाही की जावे। प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक को अनावेदक गृह निर्माण मण्डल की ओर से अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किये और लिखित उत्तर भी दिया और उसमें यह कहा गया कि मण्डल के सम्मेलन के संकल्प अनुसार मण्डल द्वारा कार्यवाही की गई है और मूल्य निर्धारण किया गया है, यदि शिकायतकर्ता उससे क्षुब्ध है तो वे कार्यवाही करने के लिए अधिनियम–1972 के तहत् राज्य शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं और इस संबंध में पुनर्विचार करने का अधिकार मण्डल को नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके यहॉ उपलब्ध समस्त रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण कराया जा चुका है और उसमें से चाही गई जानकारी भी बाद में दे दी गई है। प्रकरण में शिकायतकर्ता अभी–भी बता रहे हैं कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई है और उनके द्वारा

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

दिया गया चार्ट में अप्राप्त जानकारी के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः इस प्रकरण में अब आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे 15 दिवस के अन्दर शिकायतकर्ता तथा संपदा अधिकारी को समस्त रिकार्ड के साथ अपने समक्ष बुलावे और उनकी सुनवाई कर मूल आवेदन में चाही गई जानकारी से संबंधित जो भी जानकारी शेष रही हो, उसका निःशुल्क निरीक्षण कराकर वह जानकारी भी निःशुल्क प्रदान करावे। साथ ही वे इस संबंध में जॉच करें तथा उपलब्ध रिकार्ड नहीं निरीक्षण कराने हेतु दोषी पाये जाने पर जन सूचना अधिकारी/संपदा अधिकारी अथवा अन्य किसी अधिकारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है। समान प्रकरणों में यदि भेदभावपूर्ण कार्यवाही की गई है तो उन प्रकरणों की नोटशीट इत्यादि, जिनमें कारण बताया गया है, वह प्रति यदि नहीं दी गई है तो वह प्रति अपीलार्थी को दी जावे। यदि इनमें से कोई प्रति उपलब्ध न हो तो जन सूचना अधिकारी द्वारा आयोग के समक्ष इस बारे में स्पष्ट विवरण देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत कर उसकी प्रति शिकायतकर्ता को दिया जावे, जिसमें यह स्पष्ट बताया हो कि कौन–कौन सी जानकारी उनके यहॉ ढूंढ़ने के बाद भी उपलब्ध नहीं हो पायी। जहॉ तक शिकायतकर्ता की कटौती के संबंध में प्रश्न है, उन्हें अब गृह निर्माण मण्डल के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सक्षम फोरम में अपील प्रस्तुत करना चाहिए या उनके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में जाना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में कोई आदेश देना सूचना आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर है। साथ ही अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि पूर्व में दी गई क्षतिपूर्ति की राशि 500/– रूपये के अतिरिक्त अब राशि 500/– रूपये मण्डल द्वारा शिकायतकर्ता को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जावे। प्रकरण में चूंकि जानबूझकर सूचना छिपाने की कोई दुर्भावना प्रमाणित नहीं होती है, अतः किसी प्रकार की शास्ति की आवश्यकता नहीं है।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ इस शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com